तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/12/25	पत्रावली पेश हुई। दावा वादी आंशिक डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कैफियत शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर [illegible] आदेश सुनाया गया। (signature) उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:00:57 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास प्रेमराज मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

ठाकुर गोविन्द देव जी महाराज पंच अग्रवालान विराजमान अनाज मण्डी करौली जरिये प्रबन्धकगण व नेक्सट् फ्रेण्ड

1. पीतम पुत्र मांगीलाल
2. तुलसी पुत्र प्यारेलाल
3. अरविन्द पुत्र ओमप्रकाश
4. तेज नारायण पुत्र हजारी लाल
5. निर्मल कुमार पुत्र हरी चरण लाल
6. गिर्राज फरैटिया पुत्र गोकुल चन्द

जाति महाजन अग्रवाल निवासी करौली

–वादीगण

बनाम

1. रघुवीर सिंह पुत्र मुरली सिंह जाति राजपूत निवासी टटवाई।
2. बन्टी पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी टटवाई।
3. पप्पू पुत्र गोपाल माली जाति माली निवासी चुंगी चौकी हिण्डौन गेट।
4. रामवेटी पत्नि विष्णु
5. विश्वनाथ
6. विष्णु
7. पप्पू
8. पूरन
9. सुखराम पुत्र नामालुम

पिसरान सुखराम जाति कहार निवासीयान हिण्डौन रोड चुंगी नाका करौली

–प्रतिवादीगण

दावा 188, 183 आर टी एक्ट

मुकदमा नं. 69/06

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री श्याम प्रकाश गर्ग, एड्वाकेट** मिनजानिब मुदई रूबरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 525 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 8 तहसील करौली में वादी के कब्जे में किसी प्रकार की मदाखलत, मजाहमत नहीं करे एवं कोई निर्माण नहीं करें ना ही किसी अन्य से करावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 18/12/25 को सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी करौली

Signature Not Veri
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.01 13:0
Reason: SelfAttested

मुदई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी करौली

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:–69 / 06 तारीख रजु:–5.6.06

उनवान

ठाकुर गोविन्द देव जी महाराज पंच अग्रवालान विराजमान अनाज मण्डी करौली जरिये प्रबन्धकगण व नेक्सट् फ्रेण्ड

1. पीतम पुत्र मांगीलाल
2. तुलसी पुत्र प्यारेलाल
3. अरविन्द पुत्र ओमप्रकाश
4. तेज नारायण पुत्र हजारी लाल
5. निर्मल कुमार पुत्र हरी चरण लाल
6. गिर्राज फरैटिया पुत्र गोकुल चन्द

जाति महाजन अग्रवाल निवासी करौली

–वादीगण

बनाम

1. रघुवीर सिंह पुत्र मुरली सिंह जाति राजपूत निवासी टटवाई।
2. बन्टी पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी टटवाई।
3. पप्पू पुत्र गोपाल माली जाति माली निवासी चुंगी चौकी हिण्डौन गेट।
4. रामवेटी पत्नि विष्णु
5. विश्वनाथ
6. विष्णु
7. पप्पू
8. पूरन
9. सुखराम पुत्र नामालुम

पिसरान सुखराम जाति कहार निवासीयान हिण्डौन रोड चुंगी नाका करौली

–प्रतिवादीगण

दावा 188, 183 आर टी एक्ट

–::निर्णय::–

दिनांक :– 18/12/25

Signature Not V
Digitally signed by P
Date: 2026.05.01 13
Reason: SelfAttest

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ठाकुर जी विराजमान मंदिर गोविन्द देव जी अनाज मण्डी करौली सस्थित नाबालिग है और उनकी सेवा पूजा जमीन जायदाद की व्यवस्था अग्रवाल समाज द्वारा चुने प्रबन्धकगण करते है हम पीतम वगै0 प्रबन्धकगण व नेक्सट फ्रेण्ड की हैसियत से वादी ठाकुर जी के हित में यह दावा पेश कर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

रहे हैं हमारा वादी से कोई एडवर्सइन्ट्रेस्ट नही है। आराजी खसरा नम्बर 525 रकवा 6 वीघा 16 विस्वा वाके कस्बा करौली वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की स्थित है। प्रतिवादीगण का उक्त जमीन से कोई ताल्लुक नही है। ताकत के बल पर कब्जा कर निर्माण करने पर तुले है दिनांक 15.05.2006 को जबरन नींव खोदकर निर्माण कार्य शुरू कर दिय है और राम और दिन निर्माण कराने पर लगे हुए है। वादी की ओर से हम प्रबन्धकगण ने मना किया तो आमादा फिसाद हो गयें। वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करोन का अधिकारी है कि वे विवादित आराजी में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नही करें ना करावें कोई निर्माण कार्य नही करें ना करावें। जो निर्माण प्रतिवादीगण ने कर लिया है उससे प्रतिवादीगण को बेदखल कर निर्माण को प्रतिवादीगण के खर्चे पर हटवाया जावें। विनाय मुखासमत दिनांक 15/5/06 को प्रतिवादीगण द्वारा जबरन निर्माण करने व जमीन पर कब्जा कर निर्माण कराने की धमकी देने पर अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई। अदालत को अख्तयार समाअत का हक हासिल है। अंत में दावा वादी डिक्री कराने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी नंबर 3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी नंबर 3 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई व प्रतिवादी नंबर 4 ता 9 द्वारा जबाव प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 24.03.2008 को प्रतिवादी नंबर 4 ता 9 का जबाव बंद किया गया। प्रतिवादी नंबर 1 व 2 द्वारा जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादीगण को दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। वादी मंदिर रजिस्टर्ड ट्रस्ट है ट्रस्टी ही दावा लाने के अधिकारी है इसी बिना पर दावा खारिज होने योग्य है। मंदिर का जमीन से कोई लेना देना न है ना कभी कोई कब्जा काश्त मंदिर का रहा है। विवादित जमीन सेटिलमेंट पूर्व से आज तक कभी भी मंदिर की खुदकाश्त नही रही है। विवादित भूमि में एक आवासीय भूखण्ड 80 बाई 60 फुट लम्बा चौडा नंदलाल पुत्र सुखराम कहार निवासी करोली ने खातेदार से खरीद कर दिनांक 4.8.03 को कब्जा प्राप्त यिका था इस भूखण्ड में से 30X45 का भूखण्ड नंदलाल द्वारा प्रतिवादी नं0 2 दि0 23.08.05 को विक्रय किया

Signature Not Verif
Digitally signed by Prem
Date: 2026.05.01 13:00
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

था जिसकी लिखापढी विक्रेता ने 22.05.06 को की थी खरीद के वाद प्रतिवादी नं0 2 द्वारा 20X25 में नींव व दासाबंदी कराकर एक कमरा तैयार कराया गया इस सम्पूर्ण रकवे में मकानात बने हुऐ है और चारों ओर घनी आबादी बसी हुयी है। एक इंच भी भूमि विवादित में काश्त नही होती है ना विगत पचासों वर्षों में कभी कोई काश्त हुई है प्रतिवादी नं0 2 द्वारा विवादित मकनियत को दिनांक 20.11.06 को वजरिये इकरारनामा रामचरण पुत्र रामजी लाल कहार निवासी टटवाई को विक्रय किया जा चुका है। जिसमें वह मय गृहस्थी के रिहायश कर रहा है अब मुझ प्रतिवादी नं0 2 का विवादिज आराजीयात से कोई ताल्लुक व सरोकार नही हे उपर बताये विक्रेता व क्रेता को मुकदमें में पक्षकार नही बनाया गया है जो आवश्यक पक्षकार है उनको वगैर पक्षकार नही बनाया गया है जो आवश्यक पक्षकार है उनको वगैर पक्षकार बनाये दावा चलने योग्य नही है मुझ प्रार्थी का हित इस प्रकरण में समाप्त हो चुका है। प्रतिवादी नं0 1 का विवादित आराजीयात से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक व सरोकार नही है ना रहा है उसे अनावश्यक पक्षकार मुकदमा बनाया गया है इसलिये वह अनावश्यक तंग व परेशानी के लिये वादीगण से स्पेशल हज्र प्राप्त करने का अधिकारी है। विनाय मुखासमत पैदा नही हुई विवादित भूमि में सम्पूर्ण रकवे पर मकानात बन चुके है जिनमें रिहायश हो रही है रकवा आबादी के काम में आ रहा ह। इसलिये राजस्व न्यायालय को आबादी भूमि पर क्षेत्राअधिकार प्राप्त नही है। और दावा हाजा सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने के कारण खारिज होने योग्य है। अंत में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गयेः–

Signature Not Veri
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.01 13:00
Reason: SelfAttested

1. आया विवादित आराजीयात वादी के खातेदारी व कब्जा काश्त की है

––वादी

2. आया प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात में जबरन निर्माण करना चाहते है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

–––वादी

3. आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कराने का अधिकारी है। ——वादी

4. आया प्रतिवादीगण ने जबरन निर्माण किया है। उससे प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी प्राप्त करने का अधिकारी है।

——वादी

5. आया जवाब दावा के पैरा नं0 3 के अनुसार विवादित जमीन में मकानियसात बने हुये है। केता रामचरण आवश्यक पक्षकार है।

——प्रतिवादी नं0 1 व 2

6. आया जवाब दावा पैरा नं0 4 के अनुसार दावा हाजा सिविल न्यायालय क्षेत्राधिकार में हैं। ——प्रतिवादी

7. अनुतोष :—

वाद विवाद्यक बिन्दू साक्ष्य ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में गवाह राधेश्याम के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में जमाबंदी 2060—63 प्रदर्श—1 प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराये है। साक्ष्यवादी बंद की गई।

प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने दिनांक 8.12.2025 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस वकील सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादीगण का बहस में कथन है कि वादी ठाकुर जी विराजमान मंदिर गोविन्द देव जी अनाज मण्डी करौली सास्वत नाबालिग है और उनकी सेवा पूजा जमीन जायदाद की व्यवस्था अग्रवाल समाज द्वारा चुने प्रबन्धकगण करते है हम पीतम वगै0 प्रबन्धकगण व नेक्सट फ्रेण्ड की हैसियत से वादी ठाकुर जी के हित में यह दावा पेश कर रहे हैं हमारा वादी से कोई एडवर्सइन्ट्रेस्ट नही है। आराजी खसरा नम्बर 525 रकवा 6 वीघा विस्वा वाके कस्बा करौली वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की प्रश्नत है। प्रतिवादीगण का उक्त जमीन से कोई ताल्लुक नही है। ताकत के बल पर कब्जा कर निर्माण करने पर तुले है दिनांक 15.05.2006 को जबरन नींव खोदकर निर्माण कार्य शुरू कर दिय है और राम और दिन निर्माण कराने पर लगे हुए है। वादी की ओर से हम प्रबन्धकगण ने मना किया तो आमादा फिसाद हो गयें। वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द

Signature Not Verifi
Digitally signed by Prem
Date: 2026.05.01 13:00:5
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

करोन का अधिकारी है कि वे विवादित आराजी में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नही करें ना करावें कोई निर्माण कार्य नही करें ना करावें। जो निर्माण प्रतिवादीगण ने कर लिया है उससे प्रतिवादीगण को बेदखल कर निर्माण को प्रतिवादीगण के खर्चे पर हटवाया जावें। अंत में दावा वादी डिक्री किया जावे।

बहस वकील का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना उचित है। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है:–

विवाद्यक संख्या 1 ता 3 एक–दूसरे के पूरक होने से इनका एक साथ विवेचन किया जाना उचित प्रतीत होता है। विवाद्यक संख्या 1 ता 3 को साबित करने के लिए वादी राधेश्याम पीडब्ल्यू–1 के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2060–63 पेश की है। जिसका कोई खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं किया गया है। प्रस्तुत जमाबंदी प्रदर्श–1 से वादग्रस्त भूमि वादी मंदिर की खातेदारी व कब्जेकाश्त की होना साबित होता है। वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का हकदार है। विवाद्यक संख्या 1 ता 3 वादी के पक्ष में तय कर निर्णित किये जाते है।

विवाद्यक संख्या 4 को साबित करने का भार भी वादी पर है। वादी इस विवाद्यक के संबंध में नकल जमाबंदी संवत 2060–63 प्रदर्श–1 पेश की है एवं मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी द्वारा अवैध निर्माण करना बताया है परन्तु इस संबंध में वादी ने अन्य कोई स्वतंत्र साक्ष्य पत्रावली में पेश नहीं किये है। जिससे साबित होता हो कि दिनांक 15.05.2006 को प्रतिवादीगण द्वारा अवैध निर्माण किया हो, अवैध निर्माण के संबंध में अन्य कोई कार्यवाही करने का प्रमाण भी पत्रावली में पेश नहीं किया है। वादी वादग्रस्त भूमि में जबरन निर्माण प्रतिवादीगण द्वारा करना साबित करने में असफल रहा है। अतः विवाद्यक संख्या 4 वादी के विरूद्व प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem
Date: 2026.05.01 13:00
Reason: SelfAttested

विवाद्यक संख्या 5 व 6 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने इन विवाद्यकों के संबंध में कोई साक्ष्य व दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किये है। अतः विवाद्यक संख्या 5 व 6 प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी के पक्ष में तय कर निर्णित किये जाते है।

विवाद्यक 7 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 ता 6 के विवेचन से एवं पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2060–63 प्रदर्श–1 से वादी का वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 525 रकबा 6 बीघा 16 कस्बा करौली का वादी मंदिर मूर्ति खातेदारी काश्तकार होना एवं पीडब्ल्यू–1 राधेश्याम वादी के बयान से भूमि पर वादी का कब्जा होना साबित है। वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। दखल के संबंध में वादी विवाद्यक संख्या 4 को साबित करने में असफल होने से यह अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 525 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 8 तहसील करौली में वादी के कब्जे में किसी प्रकार की मदाखलत, मजाहमत नहीं करे एवं कोई निर्माण नहीं करें ना ही किसी अन्य से करावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/12/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेम राज मीना)
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

Signature Not Verifie
Digitally signed by Prem R
Date: 2026.05.01 13:00:5
Reason: SelfAttested